state is both the child and the parent of Law). यहाँ तक कि राज्य कोई भी कानून खुद नहीं बना सकता। राज्य का कानून जनता/नागरिक ही बनाते है और अंतत: उसका पालन भी जनता की इच्छा पर निर्भर करता है। कोई भी कानून यदि जनता की इच्छा के खिलाफ है तो राज्य उसमें जनता के प्रतिनिधियों द्वारा बदलाव भी लाता है। अत: राज्य का कानून का आधार संप्रभुता का आदेश मात्र नहीं, बल्कि जनता की इच्छा है।

संप्रभुता का आधार: ऑस्टिन के अलावा हॉब्स, बेन्थम आदि का मानना था कि संप्रभुता का आधार शक्ति है लेकिन मैकाईवर इसकी आलोचना करते है और कहते है कि संप्रभुता का आधार शक्ति नहीं बल्कि जनता की इच्छा है। (होनी चाहिए) मैकाईवर के अनुसार संप्रभुता का आधार, न्याय, व्यवस्था, सुरक्षा, आदि होनी चाहिए। मैकाईवर का यह कभी मानना नहीं था कि राज्य के पास शक्ति नहीं होनी चाहिए, इनका तो कहना था कि बेशक राज्य के पास शक्ति होनी चाहिए लेकिन वह शक्ति शासन और अत्याचार के लिये नहीं, बल्कि सेवा, सुरक्षा और न्याय के लिये होनी चाहिए।

बहुलवादी विचार की आलोचना
CRITICISM OF PLURALISM

बहुलवाद, ऑस्टिन (एवं अन्य विचारकों) के निरंकुश संप्रभुता के विचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण उदारवादी लोकतांत्रिक हस्तक्षेप था लेकिन यह महत्वपूर्ण हस्तक्षेप अंतत: कोरी-कल्पना एवं अवैज्ञानिकता का शिकार हो गया।

- मेकाईवर का कहना है कि राज्य अन्य संस्थाओं की तरह सिर्फ एक संस्था है, वह निरंकुश, असीमित, अविभाज्य शक्ति का द्योतक नही है। राज्य का कानून सामाजिक नियमों का ही एक व्यवस्थित रूप है

- निरंकुश संप्रभुता के विचार मे राज्य की प्रकृति एकदम अलोकतांत्रिक है। राज्य की प्रकृति निरंकुश एवं अलोकतांत्रिक नही होनी चाहिए।

- कानूनी एवं निरंकुश संप्रभुतावादी विचारक राज्य को सिर्फ शक्ति के संदर्भ मे देखते है, सेवा एवं सामंजस्य के पहलू की उपेक्षा करते है।

- लोकतांत्रिक समाज मे निरंकुश शक्ति की कल्पना संभव नही यही कारण है कि 20वीं सदी के आते-आते राजनीतिक मुद्दे एवं अवधारणा बदल गयी असीमित, संप्रभुता का विचार विचारकों ने त्यागकर सीमित एवं लोकतांत्रिक संप्रभुता के विचार का समर्थन किया जाने लगा। राजा की सर्वोच्चता ~~संसद~~ खत्म होकर संसद संप्रभु हो गया।

मेकाईवर का निरंकुश/एकलवादी संप्रभुता की आलोचना की ~~सस्त्र~~ मुख्य बिंदु को सरल भाषा मे समझने की कोशिश करें तो निम्नलिखित बिंदु के रूप दे रख सकते है।

- एकलवादी/निरंकुश संप्रभुता का विचार कानूनी एवं औपचारिक है। समाज और सामाजिक व्यवस्था, भावना के अनुरूप नही है।

राज्य की तरह- समाज के अन्य समुदाय एवं संगठन अपनी व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिये कानून बनाते है। राज्य की

भी राज्य के लिये संभव नहीं। राज्य की राजनीतिक एवं आर्थिक मामले अलग-अलग नहीं हो सकते। आज के नवउदारवादी चरण में इसे आसानी से समझा जा सकता है। पूंजीवादी राज्य को मजबूत / शक्तिशाली राज्य चाहिए।

- बहुलवादी विचारकों का मानना है कि राज्य की संप्रभुता व्यक्ति की अधिकारों के हित में होनी चाहिए। वह निरंकुश न होकर, इसमें अन्य ~~संस्थाओं~~ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संस्थाओं का निर्णय में बराबर की प्रतिनिधित्व एवं भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद ~~व्यक्तियों~~, व्यक्ति, समाज आदि के अधिकारों की सुरक्षा के लिये राज्य की संप्रभु शक्ति होनी चाहिए। अतः बहुलवादी विचारकों ने राजनीतिक संगठन के लिये व्यवहारिक सिद्धांत नहीं दिया।

- बहुलवादी विचारक समाज के औपचारिक संरचना को बिना किसी मूलभूत सामाजिक, संस्थानिक एवं संरचनात्मक बदलाव किये लाये बिना ही बदलना चाहते हैं। अतः उनका बहुलवाद का दार्शनिक आधार ही कमजोर है।

- बहुलवाद का कानूनी आधार भी कमजोर है, क्योंकि बहुलवादी विचारक सामाजिक मजबूती (Social Solidarity) द्वारा कानूनी सत्ता (Legal Authority) को स्थापित करना चाहते थे अर्थात् बहुलवादी राज्य एवं सरकार के बीच के अंतर को समझने में असफल रहे।

मैकाईवर समाजशास्त्री होने के कारण आदर्शवादी विचारकों जैसे प्लेटो हेगेल, रूसो आदि की काफी आलोचना की। इनके आलोचना का आधार यह था कि इन आदर्शवादी विचारकों ने राज्य और समाज के बीच के अंतर को समझे बिना निरंकुश संप्रभुता (Absolute Sovereignty) का समर्थन किया। इन लोगों ने अपने विचार ग्रीक राज्य (city state) जो बहुत छोटे-छोटे थे को ध्यान में रखते हुये दिया। उस समय ये राज्य इतने छोटे थे कि राज्य और समाज लगभग समान थे। लेकिन आधुनिक काल में ग्रीक राज्य (city-state) को ध्यान में रखते हुये राज्य की व्यवहारिक परिभाषा नहीं दी जा सकती। इसलिए मैकाईवर का मानना है कि राज्य और समाज को बेहतर ढंग से समझने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि राज्य एवं समाज के बीच के अंतर को समझा जाय।

मैकाईवर के अनुसार: आधुनिक राज्य

- राज्य समाज से छोटा है। राज्य समाज का ही एक संस्था है लेकिन इसकी संरचना समाज से अलग है। राज्य समाज के अंदर स्थित है लेकिन इसका स्वरूप एवं प्रकृति समाज से अलग है। राज्य व्यक्ति एवं समाज के संबंधों को बेहतर एवं व्यवस्थित ढंग से व्यवस्था के बनाये रखने के लिए लागू करता है। अर्थात: राज्य समाज के लिये, समाज में, समाज की सेवा के लिये समाज पर बाहर से कानून व्यवस्था लागू करता है।
- राज्य का कार्यक्षेत्र/क्षेत्र समाज की तुलना में सीमित है।
- समाज का अस्तित्व राज्य से स्वतंत्र है। राज्य का अस्तित्व समाज से है, समाज का अस्तित्व राज्य से नहीं और समाज राज्य से ऊपर है।
- समाज एक खुली/स्वतंत्र संस्था है, लेकिन राज्य एक बन्द/सीमित संस्था है। इसलिए एक बड़ा संस्था, खुली संस्था को पूर्णत: नियंत्रित

इनमें सामाजिक संस्थाओं का एक रूप है, जिसकी परिधि समाज की परिधि से कम है। अतः इस परिस्थिति में राज्य सर्वोच्च एवं उसकी शक्ति असीमित नहीं हो सकती। यह कल्पना व्यवहारिक नहीं हो सकती।

- मेकाईवर का कहना है कि अद्वैतवादी सिद्धांत (Monistic Theory) के समर्थकों का मानना है कि राज्य शक्ति का एक अंग है। यह पूर्ण सत्य नहीं है, पूर्ण सत्य यह है कि राज्य व्यक्ति के सेवा का एक यंत्र है और राज्य को जो शक्ति प्रदान होती है वह व्यक्ति, समाज एवं नागरिकों की सेवा के लिये होती है।

- राज्य की परिधि समाज की परिधि से कम है। राज्य समाज एवं व्यक्ति की सभी सेवायें देने के असमर्थ है अतः जब राज्य सभी सेवायें नहीं दे सकता तो उसे सभी शक्तियाँ (All powers) नहीं दी जा सकती।

- मेकाईवर का मानना है कि राज्य की सत्ता (Authority) सीमित होनी चाहिए और यह समाज के विभिन्न संस्थाओं के बीच विभाजित होनी चाहिए।

नहीं कर सकती। इसलिए राज्य का कार्यक्षेत्र समाज की तुलना में सीमित है।

मेकाईवर ने राज्य एवं समाज के बीच के अंतर को समझने के अलावा राज्य एवं अन्य संगठनों/संस्थाओं के बीच के अंतर को समझा और बहुलवादी विचार का समर्थन किया।

बहुलवादी विचारकों का मुख्य मानना है कि राज्य रूपी संस्था अन्य समाज में स्थित अन्य संस्थाओं की ही तरह एक संस्था है तो सभी शक्तियाँ सिर्फ एक संस्था में निहित नहीं की जानी चाहिए। राज्य को निरंकुश बनाने के स्थान पर शक्तियों का बँटवारा सभी संस्थाओं के बीच करना उचित है। ये तुलनात्मक रूप से किसी को कम या ज्यादा शक्ति दी जा सकती है।

कानून का आधार: राज्य के कानून के आधार के बारे में भी बहुलवादी विचारकों की राय अलग है। उनका मानना है कि कानून सिर्फ संप्रभुता का आदेश मात्र नहीं है। कानून के भी अलग-अलग पहलू होते हैं। संवैधानिक कानून के अलावा सामाजिक कानून भी होता है जिसे हम, समाज के रीति-रिवाज, रूढ़ी, परंपरा, संस्कृति, प्रचलन, रस्म, अनुष्ठान आदि के रूप में देखते हैं, जो हजारों वर्षों से प्रचलन में होता है। राज्य उसको सुरक्षित करता है न कि उसके ऊपर अपना कानून थोपता है। इसलिए राज्य ~~इन सभी~~ अन्य के कानून का आधार को बहुलवादी परंपरा का समर्थन करता है। अतः राज्य का कानून संप्रभुता का आदेश मात्र नहीं है।

राज्य कानून का बच्चा और माता-पिता कहता है (The

MACIVER'S VIEWS ON PLURALISM

बहुलवाद पर मैकाईवर के विचार

मैकाईवर एक कनाडा के एक समाजशास्त्री थे, अपने जीवन का अधिकतर समय अमेरिका में गुजारा। उन्होंने बहुलवादी विचार को समाजशास्त्र के इष्टिकोण से देखा विश्लेषण किया,। उनका राजनीतिक विचार पर समाजशास्त्र का गहरा प्रभाव था। उनका मानना था कि समाज का राजनीतिक पहलू जानने के लिये या विश्लेषण करने के लिए सामाजिक जीवन के अन्य पहलू को से जोड़कर देखा जाना चाहिए। सामाजिक पहलू को जाने बिना राजनीतिक विश्लेषण संभव नहीं। अतः मैकाईवर राजनीतिक विश्लेषण के पहले समाज में व्यक्ति एवं व्यक्ति के बीच संबंध, व्यक्ति एवं समुदाय के बीच संबंध, एक समुदाय का दूसरे समुदाय के बीच संबंध, राज्य एवं समाज के बीच संबंध एवं एक समाज का दूसरे समाज के बीच के संबंधों का अध्ययन करने के बाद ऑस्टिन की निरंकुश संप्रभुता (Absolute Sovereignty) की आलोचना की।

मैकाईवर का मानना है कि राज्य सिर्फ एक संस्था है जो व्यक्ति एवं समाज के हितों की रक्षा करता है, तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखने की बाहरी शर्तों को नियंत्रित करता है। समाज में बहुत सारी संस्था एवं संगठन है, राज्य उन्हीं की तरह एक संस्था है। इसलिए एकलवादी निरंकुश संप्रभुता के विचार की आलोचना करते है और बहुलवादी संप्रभुता के विचार का समर्थन करते है।

Criticism of Monistic Theory : मैकाईवर द्वारा एकलवादी निरंकुश संप्रभुता के विचार की आलोचना :